संख्या–205/26–2–2022–1(1)/2022

प्रेषक,

अशोक कुमार यादव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2022

समाज कल्याण अनुभाग–2

विषय : निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त एवं समाज कल्याण विभाग से आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत मानक से अतिरिक्त अध्यापकों का अन्य विद्यालयों में समायोजन तथा छात्र–शिक्षक अनुपात को तार्किक बनाया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–1198/स0क0/शिक्षा–ब/2021–22, दिनांक 24.12.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता/प्राप्त एवं समाज कल्याण विभाग से आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का अन्य विद्यालयों में समायोजन तथा छात्र–शिक्षक अनुपात को तार्किक बनाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त की पृष्ठभूमि में निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय हैं :–

(1) निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित तथा बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को पूर्व में समय–समय पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित किया गया है तथा इन विद्यालयों में नियुक्त तथा विभाग से अनुमोदित अध्यापकों को वेतन अनुदान का भुगतान किया जाता है।

(2) माह अक्टूबर, 2021 में समाज कल्याण विभाग से आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुमोदित अध्यापको तथा उनमें पंजीकृत एवं उपस्थित छात्रों की सूचना जिला समाज कल्याण अधिकारियों से प्राप्त कर संकलित किये जाने पर यह स्थिति स्पष्ट हुयी कि प्रदेश के कुल 489 प्राथमिक विद्यालयों में कुल 71006 छात्र पंजीकृत हैं तथा इन विद्यालयों में कुल स्वीकृत 3678 पदों के सापेक्ष कुल 1759 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं अर्थात् कक्षा–1 से 5 तक संचालित इन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की औसत संख्या 7.5 से अधिक है।

(3) यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 23 से 25 तक भी है। सामान्यतः इतने पदों की स्वीकृति इण्टरमीडिएट कालेजों अथवा इससे उच्चतर संस्थानों हेतु ही स्वीकृत की जाती है। यह एक प्रकार की ऐसी विसंगति है जो अन्ततः राजकोष पर अवांछित वित्तीय दबाव हेतु प्रत्यक्षतः उत्तरदायी है।

(4) सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उपरान्त समाज कल्याण के इन प्राथमिक विद्यालयों की उपादेयता ही समाप्त हो चुकी है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा हेतु नोडल विभाग 'बेसिक शिक्षा विभाग' द्वारा प्रति 1–1.5 किमी पर विद्यालय स्थापित कर दिए गए हैं।

(5) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–5/2015/724/79–6–2015, दिनांक 26–06–2015 की व्यवस्थानुसार कक्षा–1 से 05 तक के विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या–60 तक होने पर 02 शिक्षक, 61 से 90 तक 03 शिक्षक, 91 से 120 के मध्य तक 04 शिक्षक, 121 और 200 के मध्य 05 शिक्षक तथा 200 से अधिक छात्र संख्या पर छात्र–शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होने की व्यवस्था दी गयी है। छात्र–शिक्षक अनुपात की उक्त सुस्थापित व्यवस्था का अनुपालन समाज कल्याण विभाग के विद्यालयों में किन्हीं कारणों से संभव नहीं हो पा रहा है।

(6) समाज कल्याण विभाग से आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अक्टूबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार विद्यालयवार संकलित अध्यापक एवं छात्रों की संख्या के आधार पर यह भी स्थिति स्पष्ट हुयी कि कुछ ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें सहायक अध्यापकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत अनुमोदित अध्यापकों के मानक के अनुसार छात्र अधिक हैं, जबकि कुछ विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम है तथा उन विद्यालयों में कार्यरत अनुमोदित अध्यापक अधिक हैं।

(7) ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर अधिक छात्र वाले विद्यालयों में कम अध्यापक होने के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है, वही दूसरी ओर अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में कम छात्र होने के कारण वेतन अनुदान का अधिक भुगतान होने के कारण वित्तीय संसाधनों का अपव्यय है।

(8) समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राथमिक विद्यालयों में जनपद स्तर पर संबंधित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से चयन/नियुक्ति की कार्यवाही निर्दिष्ट प्रक्रिया-नुसार किये जाने की व्यवस्था है।

(9) ऐसी स्थिति में जबकि कतिपय विद्यालयों में छात्रों की संख्या के सापेक्ष अध्यापक बहुत अधिक हों तो उपर्युक्त चयन की कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा समाज कल्याण विभाग के आवर्तक अनुदान के विद्यालयों मे कार्यरत अधिसंख्य अध्यापकों का समायोजन ही प्रासंगिक एवं समीचीन है।

3- उपर्युक्त वर्णित स्थिति के क्रम में निजी प्रबंधतंत्र द्वारा संचालित बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त एवं समाज कल्याण विभाग से आवर्तक अनुदान सूची में सम्मिलित प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात को तार्किक बनाए जाने के दृष्टिकोण से अध्यापकों के समायोजन (उन्हीं शिक्षकों का समायोजन किया जाना है जिन्हे राजकोष से वेतन भुगतान सुनिश्चित हो रहा है) हेतु निम्नवत् निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :-

(1) समाज कल्याण विभाग से अनुदानित किन्तु निष्क्रिय कोटि के विद्यालयों/नगण्य छात्र संख्या वाले अनुदानित विद्यालयों मे कार्यरत अध्यापकों का समायोजन जनपद के अन्तर्गत अथवा आवश्यकतानुसार अन्य जनपदों में अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में छात्र-शिक्षक मानक के अनुसार कर दिया जाय।

(2) समायोजन की प्रक्रिया मे विद्यालयों में छात्रों की पंजीकृत संख्या आधार सत्यापित होनी चाहिए। नियंत्रक प्राधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) इसे सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित विद्यालयों में पंजीकृत छात्र सर्वशिक्षा अभियान के तहत स्थापित बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत तो नहीं हैं। शासन के संज्ञान में यह आया है कि प्राथमिक विद्यालयों निरीक्षण के समय बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित निकटस्थ अन्य विद्यालयों के छात्र बुलाकर पंजीकृत संख्या दर्शाने के लिए संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दिखाई जाती है। यह स्थिति नितान्त आपत्तिजनक है। अतः उपर्युक्त के संबंध में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) इस संबंध में निदेशक, समाज कल्याण को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पंजीकृत छात्रों की संख्या आधार सत्यापित है तथा विद्यालय के छात्र किसी अन्य विद्यालय में पंजीकृत नहीं हैं।

(3) उपर्युक्तानुसार समायोजन प्रक्रिया में संबंधित विद्यालय के प्रबंधतंत्रों की सहमति प्राप्त करने के परिप्रेक्ष्य में उनसे इस आशय की लिखित अंडरटेकिंग प्राप्त कर ली जाय कि वे अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में समायोजन पर सहमत हैं। अन्यथा की स्थिति में संबंधित विद्यालयों के अनुदान निलम्बित करने की संस्तुति की जाय।

(4) एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में समायोजन प्रक्रिया में सर्वप्रथम विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठतम् शिक्षक को वरीयता प्रदान की जाएगी।

(5) समायोजन की यह प्रक्रिया सर्वप्रथम जनपद स्तर के विद्यालयों में अपनाई जाएगी। इसके उपरान्त अन्तर्जनपदीय समायोजन पर विचार किया जाएगा।

(6) आधार सत्यापित नगण्य छात्र संख्या वाले विद्यालयों, जिनके संचालन का औचित्य समाप्त हो गया हो, के अनुदान को निलम्बित करने अथवा उन्हें स्थाई रूप से बंद करने की संस्तुति अथवा कार्यवाही की जाए। निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 स्वस्तर से इसे सुनिश्चित करेंगे। इस प्रक्रिया में यह देख लिया जाए कि निकटस्थ 1-1.5 किमी की परिधि में सर्वशिक्षा अभियान के तहत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित/संचालित विद्यालयों की संख्या कितनी है।

(7) नगण्य छात्र संख्या (30 से कम) वाले विद्यालयों के छात्रों को बेसिक शिक्षा विभाग के निकटस्थ विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर कार्यरत अध्यापकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजन पर विचार किया जाय। ऐसे विद्यालयों को आवर्तक अनुदान सूची पर बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

(8) नए शिक्षकों के चयन, नियुक्ति एवं वित्तीय अनुमोदन पर एतद्द्वारा रोक लगाई जाती है।

छात्र-शिक्षक अनुपात को तार्किक बनाए जाने संबंधी उपर्युक्त प्राविधानों के अनुपालन हेतु जो प्रबंधतंत्र सहमत न हों उनको सर्वप्रथम यह आश्वस्त कर दिया जाए कि यह एक प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिसके दृष्टिगत उनके अनुदान को निलम्बित करने, रोकने/स्थाई रूप से बन्द करने की संस्तुति की जा रही है।

(9) आधार सत्यापित छात्र संख्या के सापेक्ष विद्यालय में कार्यरत स्टाफ (शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर) की उपादेयता के संबंध में प्रबंधतंत्र एवं संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) यह प्रमाणित करेंगे कि उस विद्यालय में मानक से कुल कितने कम अथवा अधिक शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी हैं।

(10) जिले के भीतर यह समायोजन जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(11) विभिन्न जनपदों में, किन्तु एक ही मण्डल में स्थित एक आवर्तक अनुदानित प्राथमिक विद्यालय से दूसरे आवर्तक अनुदानित प्राथमिक विद्यालय में समायोजन के मामले में मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 के स्तर से किया जाएगा एवं इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(12) विभिन्न मण्डलों में स्थित एक आवर्तक अनुदानित प्राथमिक विद्यालय से दूसरे आवर्तक अनुदानित प्राथमिक विद्यालय मे स्थानान्तरण के मामले में निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 के स्तर से किया जाएगा।

(13) समायोजन प्रक्रिया में संबंधित कार्मिक (प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी) की सेवा पुस्तिका एवं चरित्र-पंजिका की प्रतियां प्रबंधतंत्र के द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के माध्यम से अन्य प्रबंधतंत्र को हस्तान्तरित/अग्रसारित की जायेंगी। इसकी एक प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर के उपरान्त स्थाई रिकार्ड हेतु रक्षित की जाएगी।

(14) शिक्षकों की गणना प्रधानाध्यापक को मिलाकर की जाएगी।

(15) प्रस्तर-2 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों के चयन के संबंध मे सम्प्रति लागू व्यवस्था (जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन/नियुक्ति) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। इसी क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2264/26-2-2019-1(41)/2019, दिनांक 06.12.2019 द्वारा सहायक अध्यापकों के वित्तीय अनुमोदन हेतु गठित समित को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(16) इस संबंध में नोडल विभाग बेसिक शिक्षा द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया (प्रबंधकीय जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षको के चयन हेतु) के अंतर्गत चयन की कार्यवाही भविष्य में आवश्यकता होने पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराई जाय ताकि विसंगतियों को दूर करने की दिशा में सुधारात्मक लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

(17) शिक्षकों के समायोजन की उपर्युक्त कार्यवाही व्यवस्थागत (systemic) हैं, अतः इसी परिप्रेक्ष्य में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अभीष्ट है।

समायोजन की प्रक्रिया में छात्रों की आधार सत्यापित संख्या के आधार पर सर्वप्रथम यह विनिश्चय कर लिया जाय कि अमुक विद्यालय में कितने अध्यापक अतिरिक्त हैं। इस विनिश्चय के उपरान्त विद्यालय के कनिष्ठतम् अध्यापकों का सर्वप्रथम जनपद में तथा उसके उपरान्त अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर्मण्डलीय समायोजन पर कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाय।

4- शिक्षकों के चयन, नियुक्ति एवं वित्तीय अनुमोदन के विषय पर पूर्व में निर्गत संबंधित शासनादेश, आदेश/ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित/अवक्रमित समझे जॉय।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। इन निर्देशों से विचलन की स्थिति अनुमन्य नहीं है और वह दण्डनीय होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव

संख्या- (1)/26-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक-शि0नि0(बे0)/39919/2021-22, दिनांक 18.10.2021 के क्रम में।
(4) समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(5) संयुक्त निदेशक/योजनाधिकारी शिक्षा-ब, निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव

3/GO-samayojan-Rajvji

(10) जिले के भीतर यह समायोजन जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) द्वारा किया जाएगा एवं इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(11) विभिन्न जनपदों में, किन्तु एक ही मण्डल में स्थित एक आवर्तक अनुदानित प्राथमिक विद्यालय से दूसरे आवर्तक अनुदानित प्राथमिक विद्यालय में समायोजन के मामले में मण्डलीय संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 के स्तर से किया जाएगा एवं इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(12) विभिन्न मण्डलों में स्थित एक आवर्तक अनुदानित प्राथमिक विद्यालय से दूसरे आवर्तक अनुदानित प्राथमिक विद्यालय में स्थानान्तरण के मामले में निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 के स्तर से किया जाएगा।

(13) समायोजन प्रक्रिया में संबंधित कार्मिक (प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी) की सेवा पुस्तिका एवं चरित्र-पंजिका की प्रतियां प्रबंधतंत्र के द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के माध्यम से अन्य प्रबंधतंत्र को हस्तान्तरित/अग्रसारित की जायेंगी। इसकी एक प्रति प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर के उपरान्त स्थाई रिकार्ड हेतु रक्षित की जाएगी।

(14) शिक्षकों की गणना प्रधानाध्यापक को मिलाकर की जाएगी।

(15) प्रस्तर-2 में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों के चयन के संबंध में सम्प्रति लागू व्यवस्था (जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयन/नियुक्ति) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। इसी क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-2264/26-2-2019-1(41)/2019, दिनांक 06.12.2019 द्वारा सहायक अध्यापकों के वित्तीय अनुमोदन हेतु गठित समिति को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(16) इस संबंध में नोडल विभाग बेसिक शिक्षा द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया (प्रबंधकीय जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के चयन हेतु) के अंतर्गत चयन की कार्यवाही भविष्य में आवश्यकता होने पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर कराई जाय ताकि विसंगतियों को दूर करने की दिशा में सुधारात्मक लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें।

(17) शिक्षकों के समायोजन की उपर्युक्त कार्यवाही व्यवस्थागत (systemic) है, अतः इसी परिप्रेक्ष्य में उल्लिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना अभीष्ट है।

समायोजन की प्रक्रिया में छात्रों की आधार सत्यापित संख्या के आधार पर सर्वप्रथम यह विनिश्चय कर लिया जाय कि अमुक विद्यालय में कितने अध्यापक अतिरिक्त हैं। इस विनिश्चय के उपरान्त विद्यालय के कनिष्ठतम् अध्यापकों का सर्वप्रथम जनपद में तथा उसके उपरान्त अन्तर्जनपदीय एवं अन्तर्मण्डलीय समायोजन पर कार्यवाही एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाय।

4- शिक्षकों के चयन, नियुक्ति एवं वित्तीय अनुमोदन के विषय पर पूर्व में निर्गत संबंधित शासनादेश, आदेश/ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित/अवक्रमित समझे जॉय।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें। इन निर्देशों से विचलन की स्थिति अनुमन्य नहीं है और वह दण्डनीय होगी।

भवदीय,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव

संख्या-2051(1)/26-2-2022 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक-शि0नि0(बे0)/39919/2021-22, दिनांक 18.10.2021 के क्रम में।
(4) समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
(5) संयुक्त निदेशक/योजनाधिकारी शिक्षा-ब, निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार यादव)
अनु सचिव

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या- C-246 /स0क0/शिक्षा-ब/प्रा0पा0/2022-23, दिनांक : लखनऊ : 17 मई, 2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक-शि0नि0(बे0)/39919/2021-22 दिनांक 18.10.2021 के क्रम में।
4- समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त निदेशक/योजनाधिकारी शिक्षा-ब, निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश। **(उपरोक्त सभी पंजीकृत डाक द्वारा)**

17/5/2022

(राकेश कुमार)
निदेशक।

ska 2022